संख्या-21/2017/1020/18-4-2017-10(बजट)/07

प्रेषक,

पन्ना लाल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
उ0प्र0 लखनऊ ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 28 अगस्त,2017

विषय- त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-65/4-वित्त/बजट मांग/2017-18, दिनांक 04-8-2017 तथा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-37/निर्यात/बजट/2017-18, दिनांक 02-8-2017 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-615/18-4-2017-10(बजट)/07, दिनांक 21-6-2017 के अनुक्रम में "त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख (रू0 बीस करोड़) मात्र के सापेक्ष (रू02000.00 लाख-रू0 825.00 लाख))= रू0 1175.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ पचहतर लाख) मात्र की अवशेष धनराशि निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रूपये लाख में)

क्र0सं0	योजना का नाम/उपमदें	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित मांग	लेखानुदान के माध्यम से प्रथम पांच माहो हेतु स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि
1-	(अ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता	487.00	200.00	287.00
	(ब) राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता	40.00	16.00	24.00
2-	गेट वे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान	1450.00	600.00	850.00
3-	निर्यातकों की क्षमता का विकास	10.00	04.00	6.00
4-	अध्ययन सर्वे ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकडे उपलब्ध कराना।	02.00	0.80	1.20
5-	निर्यात पुरस्कार	11.00	04.20	6.80
	योग	2000.00	825.00	1175.00

(रू0 ग्यारह करोड़ पचहतर लाख) मात्र

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर अपर आयुक्त, उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ के माध्यम से अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को "त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत उपर्युक्त योजना/उपमदो के कियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

4-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि केवल स्वीकृत योजना/मदों पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

5-उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

6-योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

7-उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

8-व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टेण्डर्डस ऑफ फाईन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

9-स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

10-प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

11-प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

12-उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय- व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग- 800-अन्य व्यय-13-त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना-27- सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

13-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है। भवदीय,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या-21/2017/1020(1)/18-4-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3-सचिव-वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टेट सेल, डिपार्टमेन्ट आफ कामर्स, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

4-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।

5-कोषाधिकारी, लखनऊ/निदेशक स्थानीय निधिलेखा परीक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद/निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय-125 जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6-वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
7-वित्त, (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त् (आय-व्यय) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-1/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।